कार्यालय अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक,इन्दौर जोन इन्दौर,
६, रेसीडेन्सी एरिया, इन्दौर ४५२००१

— : : आ दे श : : —

पुलिस मुख्यालय भोपाल के पत्र क्र/पुमु/लेखा/पेंशन/1287/08 दिनांक 05.12.08 के पालन में आवास आवंटन नीति के अंतर्गत गठित समिति द्वारा समग्र विचार उपरांत इन्दौर जिले में पदस्थ निम्नांकित अधिकारी/कर्मचारियों को निम्नानुसार आवास परिवर्तन की अनुमति निम्न शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है।

परिवर्तन

क्र.	पद व नाम	वर्तमान पदस्थापना	वर्तमान आवंटित शासकीय आ.गृह क्रमांक	परिवर्तित शासकीय आवास गृह क्रमांक	रिमार्क
1	सउनि मनोरमा मिश्रा	थाना पंढरीनाथ	-	आ.क्र. 25/1 विजयनगर पुलिस लाईन	सउनि के पति प्रआर.1187 शंकरलाल मिश्रा दिनांक 31.08.16 को सेवानिवृत्त होने से सउनि के नाम से परिवर्तन।
2	आर. अमर हार्डिया	जिविशा इन्दौर	आ.क्र. सी-4/1 पिगडम्बर पुलिस लाईन	बी-48 डीआरपी लाईन	पूर्व आवंटन निरस्त। माताजी पैरालिसिस से ग्रसित होकर गोकुलदास अस्पताल में इलाजरत होने से एवं आवास की दूरी अत्यधिक होने से मानवीय आधार पर।
3	उनि गुलाब सिंह रावत	थाना राजेन्द्र नगर	आ.क्र.एन-5/5 पिगडम्बर पुलिस लाईन	आ.क्र.एनजीओ-02 राजेन्द्र नगर पुलिस लाईन	उनि की पत्नी की एक्सीडेंट होने से स्पाईनल इंजुरी से ग्रसित है। रेग्युलर फिजियोथैरेपी कराने हेतु 3री मंजिल से लाने ले जाने में कठिनाई होने से मानवीय आधार पर।
4	प्रआर. 2917 महेन्द्र खड़ोतिया	थाना चंदन नगर	आ.क्र. सी-339 डीआरपी लाईन	आ.क्र. सी-11/11 पिगडम्बर पुलिस लाईन	आर. 2344 कमल जरिया से आपसी सहमति पर परिवर्तन।
5	आर. 2344 कमल जरिया	थाना चंदननगर	आ.क्र. सी-11/11 पिगडम्बर पुलिस लाईन	आ.क्र. सी-339 डीआरपी लाईन	प्रआर. 2917 महेन्द्र खड़ोतिया से आपसी सहमति पर परिवर्तन।
6	आर. 1679 महेश शारदे	अपराध शाखा	आ.क्र.डी-151 डीआरपी लाईन	आ.क्र. बी-324 डीआरपी लाईन	प्रआर.चालक 2575 अब्दुल हमीद से आपसी सहमति पर परिवर्तन।
7	प्रआर.चालक 2575 अब्दुल हमीद	एमटी शाखा डीआरपी लाईन	आ.क्र. बी-324 डीआरपी लाईन	आ.क्र.डी-151 डीआरपी लाईन	प्रआर. 2917 महेन्द्र खड़ोतिया से आपसी सहमति पर परिवर्तन।
8	नवआर. 500 अमित यादव	डीआरपी लाईन	-	आ.क्र.ए-1 सेंट्रल कोतवाली पुलिस लाईन	नवआर. के पिता सउनि राजनाथ सिंह यादव की मृत्यु उपरांत अनुकम्पा नियुक्ति होने से नवआर. के नाम पर परिवर्तन।
9	नवआर. 94 आकाश त्रिवेदी	डीआरपी लाईन	-	आ.क्र.सी-4 खजराना पुलिस लाईन	नवआर. के पिता आर. 2811 रामलखन तिवारी की मृत्यु उपरांत अनुकम्पा नियुक्ति होने से नवआर. के नाम पर परिवर्तन।
10	सउनि(अ) विरेन्द्र सिंह चौहान	अमनि कार्यालय इंदौर	आ.क्र.सी-8 जावरा कंपाउण्ड पुलिस लाईन	आ.क्र.डी-02 जावरा कंपाउण्ड पुलिस लाईन	सउनि(अ) की माताजी आर्थराईटिस की समस्या से ग्रसित होकर चिकित्सक दवारा सीढ़ियां नहीं चढने की सलाह देने से मानवीय आधार पर।
11	प्रआर. 1071 देवी सिंह	थाना पलासिया	आ.क्र. बी-51 डीआरपी लाईन	आ.क्र. 4/2 पलासिया पुलिस लाईन	आर. 3096 अमरराज से आपसी सहमति पर परिवर्तन।
12	आर. 3096 अमरराज सिंह	थाना संयोगितागंज	आ.क्र. 4/2 पलासिया पुलिस लाईन	आ.क्र. बी-51 डीआरपी लाईन	प्रआर.1071 देवी सिह से आपसी सहमति पर परिवर्तन।

शर्ते :—

1. शासकीय आवासगृह आवंटन इस आधार पर किया जा रहा हैं कि आवंटिती का स्वयं के अथवा परिवार में आश्रित सदस्य के नाम से इन्दौर नगर में कोई आवासगृह नहीं हैं । गलत जानकारी प्रस्तुत कर आवासगृह आवंटित कराने पर संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को दोषी माना जावेगा एवं संबंधित के विरूद्ध कठोरतम अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी । आश्रित सदस्य से आशय पति, पत्नी, बच्चे, माता–पिता हैं ।

2. निजी भवन इन्दौर शहर में होने की स्थिति में आवंटित आवास का किराया नियम 45–बी के अनुसार जमा कराना होगा ।
3. आवासगृह का वाणिज्यिक एवं व्यवसायिक उपयोग नहीं किया जावें ।
4. आवासगृह को रिक्त रखना व ताला लगाकर रखना, स्वयं आवासीय उपयोग न करते हुए किसी परिचित या रिश्तेदार को निवास हेतु दिया जाना प्रतिबंधित हैं ।
5. थाना परिसर में जिन पुलिस कर्मियों को आवा आवंटित किए गए हैं, उनका वर्तमान पदस्थापना थाने से अन्यत्र स्थानांतरण होने की स्थिति में थाना परिसर का आवंटित शासकीय आवासगृह आवश्यक रूप से रिक्त करना अनिवार्य होगा।
6. स्थानान्तर/सेवामुक्त/पदच्युत होने अथवा प्रतिनियुक्ति पर जाने की सूचना संपदा अधिकारी रक्षित निरीक्षक एवं आवास लिपिक डीपीओ इन्दौर को दी जावें तथा नियमानुसार आवास धारण की अनुमति प्राप्त की जाना आवश्यक होगा ।
7. आवासगृह से लगी भूमि का उपयोग जानवर पालने हेतु नहीं किया जावें, पड़ोसियों की सुख–सुविधा में व्यवधान पैदा हो ऐसा कोई कार्य न किया जावें ।
9. आवासगृह का आधिपत्य लेने के पश्चात यदि अन्य कोई आवासगृह आधिपत्य में हो तो उसे तीन दिवस में अनिवार्य रूप से रिक्त कर दिया जावें ।
10. आवासगृह का आधिपत्य प्राप्त करते एवं रिक्त करते समय संपदा अधिकारी रक्षित निरीक्षक, इन्दौर को सूचित करें, ताकि पूर्व आवंटिती द्वारा शासकीय संपत्ति को पहुंचाई गई क्षति का मूल्यांकन कर क्षतिपूर्ति की कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकें । रक्षित निरीक्षक एवं संबंधित थाना प्रभारी रोजनामचा में रिपोर्ट दर्ज कर प्रमाणित प्रति संपदा अधिकारी रक्षित निरीक्षक/आवास लिपिक एसी. प्रथम डीपीओ. इन्दौर की ओर तत्काल प्रेषित करें ।
11. आवंटित शासकीय आवासगृह में विद्युत कनेक्शन आवंटिती को स्वयं म.प्र. विद्युत मण्ड़ल से लेना होगा एवं जल तथा विद्युत व्यय नियमित भुगतान करना होगा ।
12. शासकीय आवासगृह में किसी भी प्रकार की तोड़–फोड़, नवनिर्माण आदि प्रतिबंधित हैं, यदि ऐसा पाया गया तो आवंटिती क्षतिपूर्ति हेतु स्वयं जवाबदार होगा ।
13. उपरोक्त शर्तो में से किसी भी शर्त का उल्लंघन पाया जाने पर यह आवंटन आदेश स्वतः निरस्त हो जावेगा।
14. इसी प्रकार प्रशासकीय सुविधा की दृष्टि से किसी भी समय यह आवास आवंटन आदेश निरस्त/संशोधन किया जा सकेगा । ऐसी अवस्था में आवंटिती को 07 दिवस में अनिवार्य रूप से आवासगृह रिक्त करना होगा ।
15. परिवर्तन के संबंध में 06 माह तक कोई भी विचार नहीं किया जावेगा ।
16. अन्यत्र स्थानान्तरण/सेवानिवृत्त/सेवा से पृथक/त्यागपत्र अथवा अन्य किसी भी प्रकार से सेवा में नहीं रहने पर यह आवंटन आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा एवं आवंटिती को तत्काल आवास रिक्त करना होगा ।
17. आवंटित शासकीय आवास का आधित्य 15 दिवस में आवश्यक रूप प्राप्त कर निवास करना होगा। ऐसा न करने की स्थिति में आवंटन निरस्त किया जाएगा।

(अमनि महोदय द्वारा अनुमोदित)

(मो.यूसुफ कुरैशी)
पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) इंदौर
हेतु- अति.पुलिस महानिदेशक,
इन्दौर जोन इन्दौर

क्रमांक/अमनि/इं/स्थापना/एफ–33–ए/ 149–40(A) /2017 दिनांक 19 .02.2017

प्रतिलिपि–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1– पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर रेन्ज शहर।
2– पुलिस अधीक्षक, जिला इन्दौर(मुख्यालय), इन्दौर(पश्चिम) एवं इन्दौर(पूर्व)।
3– रक्षित निरीक्षक जिला इन्दौर।
4– थाना प्रभारी .... जिला इन्दौर।
5– संबंधित की ओर सूचनार्थ–द्वारा थाना प्रभारी।

(मो.यूसुफ कुरैशी)
पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) इंदौर
हेतु- अति.पुलिस महानिदेशक,
इन्दौर जोन इन्दौर

Letter